न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नंबर 36/2020 — निर्णय दिनांकः 09.02.23

ऑनलाईन नंबर 2020/00068

1. राजेन्द्रप्रसाद पुत्र रूघदास जाति स्वामी निवासी आडसर पुरोहितान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. लक्ष्मीनारायण पुत्र गोरधनराम जाति ब्राह्मण निवासी आडसर पुरोहितान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—वादीगण—

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. बीरबलराम पुत्र मामराज जाति जाट निवासी आडसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
3. नाथीदेवी पत्नी बीरबलराम जाति जाट निवासी आडसर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।
4. युगलकिशोर पुत्र तुलछीराम जाति ब्राह्मण निवासी बनियासर तहसील सरदारशहर जिला चूरू।

—प्रतिवादीगण—

उपस्थितिः—

1. श्री राजूराम बाना अभिभाषक वादीगण
2. श्री श्रवण कुमार अभिभाषक प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4
3. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 आरटीए सपठित धारा 136 एलआर एक्ट

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 774/217 तादादी 0.1612 हैक्टेयर रोही आडसर पुरोहितान में स्थित है जो वादीगण के द्वारा जरिये विक्रय पत्र दिनांक 18.12.2014 के द्वारा खसरा नम्बर 217 तादादी 3.50 हैक्टेयर में से खरीदशुदा खेत है खसरा नम्बर 217 तादादी 3.50 हैक्टेयर के वर्तमान खसरा नम्बर 774/217 तादादी 0.1612 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 773/217 तादादी 0.2000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 772/217 तादादी 0.1210 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 775/217 तादादी 0.2230 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 776/217 तादादी 2.7948 हैक्टेयर राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज है। उक्त वादगत खेत खसरा नम्बर 774/217 तादादी 0.1612 हैक्टेयर वादीगण ने खसरा नम्बर 217 तादादी 3.50 हैक्टेयर में से मध्य तरफ से खरीद किया था खरीद के समय वादीगण ने अपने खरीदशुदा खेत के चारों तरफ पट्टिया रोपकर कब्जा प्राप्त कर लिया था तब से वादीगण का पर कब्जा—काश्त एवं उपयोग उपभोग शान्तिपूर्वक चला आ रहा है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के खातेदारी अनुसार मौके पर अलग अलग सीमाये कायम कर रखी है एवं कब्जा काश्त कायम है मौके कब्जे के अनुसार ही वादगत खसरानो की राजस्व नक्शे में तरमीम की जानी थी लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 के राजस्व कर्मचारियों ने वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के खसरानो की तरमीम मौके कब्जे के विपरीत कर दी। यह है कि वादगत खेतों के राजस्व नक्शों में राजस्व कर्मचारियों ने वादगत खेतों की तरमीम करते समय वादीगण के खेतों की तरमीम मौके कब्जे के विपरीत कर दी जबकि वादगत खेतों की तरमीम विक्रय पत्रों के अनुसार एवं तादादी के अनुसार [illegible] वादगत खेत राजस्व नक्शा सीट में मौके कब्जे के विपरीत दर्ज है जो राजस्व कर्मचारियों ने बिना मौका जांच किये वादगत खेतों की तरमीम मौके के विपरीत कर दी जिसको वादीगण मौके कब्जे एवं विक्रय पत्रों के अनुसार करवाने के अधिकारी है। वादीगण ने दिनांक 26.02.2020 को राजस्व रिकॉर्ड की नकलें निकलवाई तो पता चला कि वादीगण के खेत की तरमीम मौके कब्जे के विपरीत दर्ज है जिसको वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 1 से मौके कब्जे के

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2023.02.28 10:50:20 IST
Reason: SelfAttested

अनुसार तरमीम करवाने के लिए निवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या 1 ने रिकॉर्ड सही करने से इनकार कर दिया प्रतिवादीगण की इनकारी से वादीगण को वाद हेतु वारिल है। यह है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के वादगत खेतों विक्रय पत्रों में दर्ज आसे पासे एवं तादादी के अनुसार ही राजस्व रिकॉर्ड एवं राजस्व नक्शे में दर्ज होना था लेकिन नवीन राजस्व नक्शे में तरमीम मोके कब्जे के विपरीत है जिसको राजस्व रिकॉर्ड में मौके कब्जे काश्त एवं विक्रय पत्रों के अनुसार राजस्व नक्शों में तरमीम करवाना जरूरी हो गया है। यह है कि वादीगण के खेतों के राजस्व नक्शे में तरमीम मौके कब्जे एवं विक्रय पत्रों के विपरीत होने से वादीगण को अपूरणीय क्षति कारित हो रही है। यह है कि वादीगण की भूमि रोही आडसर पुरोहितान में अवस्थित है। यह है कि दावा जानकारी के अन्दर मियाद एवं पूर्ण न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है।

अतः वाद प्रस्तुत कर वादीगण का दावा स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार से आदेश फरमाने का निवेदन किया गया।

(क) कि रोही आडसर पुरोहितान के वादगत खेत खसरा नम्बर 774/217 तादादी 0.1612 हैक्टेयर को मौके कब्जे अनुसार राजस्व नक्शा में तरमीम मौके कब्जे के अनुसार घोषित की जावें।

(ख) कि प्रतिवादीगण संख्या 1 को आदेशित किया जावे कि रोही आडसर के वादगत खेत खसरा नम्बर 774/217 तादादी 0.1612 हैक्टेयर को राजस्व नक्शे में तरमीम मौके कब्जे एवं विक्रय पत्रों के अनुसार की जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करें।

(ग) कि अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादीगण हो अथवा दौराने दावा हितकर वादीगण हो जावें वह भी आज्ञाप्त फरमाया जावें।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब दावा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से पैरोकारराज ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षेप में प्रतिवादीगण एवं स्टेट को वादी वाद स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व वादी वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

रोही ग्राम आडसर के खेत खसरा नम्बर 774/217 तादादी 0.1612 हैक्टेयर को राजस्व नक्शे में तरमीम मौके कब्जे एवं विक्रय पत्रों के अनुसार की जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तदनुसार पालना सुनिश्चित करें। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक [illegible] को मेरे [illegible] जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर से [illegible] होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास [illegible] गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2023.02.28 10:50:20 IST
Reason: SelfAttested

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ